न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:— 02/2016 तारीख रजू:—11.04.2016

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2016/00027

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. मदन लाल पुत्र रामकुंवार बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—वादी

बनाम

1. प्रभूलाल दत्तक पुत्र बिरदया बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. ममता देवी पत्नि भैरूलाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक, एस0बी0बी0जे0, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित::—

वकील वादी :— श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 :— एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक:—17.03.2026

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—
   - ❖ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, तथा ग्राम डिडायच के रहने वाले हैं, जिनका सजरा परिवार निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified

रत[illegible]

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

रामकुंवार (फोत) — बिरदया (ला[illegible]फोत)

↓ मदनलाल — ↓ प्रभूलाल दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ वादी के पिता रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता बिरदया के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 131 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 470 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा ग्राम डिडायच में स्थित है, जिसमें दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा अर्थात आधा–आधा हिस्से का इन्द्राजात जमाबंदी संवत् 2042–2045 में हो रहा है तथा इसी अनुसार आधे–आधे हिस्से पर काश्त कर लाभ प्राप्त करते चले आ रहे हैं।

❖ प्रतिवादी संख्या 01 के दत्तक पिता बिरदया का देहान्त हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 01.06.1987 को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम तस्दीक होकर जमाबंदी संवत् 2042–2045 में अंकन हो गया। तथा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया।

❖ प्रतिवादी संख्या 01 को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने अपने हिस्से की आराजी खसरा नंबर 470 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में अपने हिस्से 1/2 में से 2 बीघा भूमि किशन लाल पुत्र रामपाल व एक बीघा भूमि भैरूलाल पुत्र रामपाल बैरवा को विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 18.06.1996 को उनके नाम तस्दीक होकर जमाबंदी संवत् 2042–2045 में अंकन हो गया। इस प्रकार वादी के पिता रामकुंवार का साबिक खसरा नंबर 470 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 हिस्सा बदस्तूर रहा तथा शेष 1/2 हिस्से में से 3 बीघा भूमि कम कर दिये जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 के नाम इस नंबर में 4 बीघा 6 बिस्वा शेष रही। तथा खरीद करने के पश्चात् केता अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज हो गये।

❖ इसी बची सेटलमेंट का कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण उक्त साबिकद खसरा नंबर 131 रकबा 1 बीघा के नवीन खसरा नंबर 527 रकबा 0.25 है0 बनाकर वादी के पिता रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आधे आधे हिस्से की खातेदारी अंकित कर दी तथा साबिक खसरा नंबर 470 के नवीन खसरा नंबर 1017 रकबा 1.80 है0 व 1018 रकबा 1.15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 है0 बनाकर उसमें गलती से आधे आधे हिस्से की खातेदारी अंकित कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नंबर 470में 1/2 हिस्सा शेष नहीं रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

❖ इसी बीच वादी के पिता रामकुंवार का देहान्त हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 20.04.2009 को वादी के नाम तस्दीक होकर जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में अंकन होकर वादी के नाम खातेदारी इन्द्राजात हो गये।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को रूपयों की आवश्यकता होने पर दोनों ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 527 रकबा 0.25 है0 बुद्धीप्रकाश पुत्र जयलाल बैरवा निवासी डिडायच को विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 354 दिनांक 05.09.2011 को तस्दीक होकर उसने नाम खातेदारी हो गई तथा जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में अंकन हो गया, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा 3 बीघा भूमि का विक्रय कर दिये जाने से खातेदारों के नाम नवीन खसरा नंबर 1019 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 1018 रकबा 0.25 है0 की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में पृथक पृथक खातेदारी का अंकन हो गया।

- इस प्रकार साबिक आराजी खसरा नंबर 470 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या द्वारा 3 बीघा भूमि का विक्रय कर दिये जाने के पश्चात् वादी के नाम 7 बीघा 7 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि के इन्द्राजात होने चाहिये थे, लेकिन सेटलमेंट विभाग वालों ने उक्त साबिक खसरा नंबर 470 के नवीन खसरा नंबर 1017 रकबा 1.80 है0, 1018 रकबा 1. 15 है0 कुल रकबा 2.95 में गलती से आधा–आधा हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अंकित कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में 3 बीघा भूमि कर किये जाने के बाद वादी के नाम 1.85 है0 व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1.10 है0 भूमि का इन्द्राज किया जाना चाहिये था।

- वादी को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण वादी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से 0.50 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 517 दिनांक 10.07.2015 को तस्दीक हो चुका है।

- वादी को सेटलमेंट विभाग की गलती की कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु जब 10.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपने हिस्से की उक्त भूमि बेचान करने की चर्चा की तो जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से कहा कि तुम्हारे हिस्से में सेटलमेंट विभाग की गलती से ज्यादा भूमि आ गई है, इसलिये इसे दुरूस्त करवाकर विक्रय करो, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने मना कर दिये जाने से वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो सेटलमेंट विभाग के द्वारा 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिये जाने से उसको दुरूस्त करवाये तथा अपने उक्त विवादित आराजीयात ख[illegible] 1017 व 1018 कुल रकबा 2.95 है0 में से 1.85 है0 अपने नाम में से प्रतिवादी संख्या 02 को 0.50 है0 भूमि का विक्रय कर दिये जाने के पश्चात् 1.35 है0 अपने नाम व 0.50 है0 प्रतिवादी संख्या 02 के नाम तथा 1.10 है0 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अंकन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड के दुरूस्त करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थायी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो विवादित आराजीयात का रहन बेचान नहीं करे।

❖ बिनाय दावा दिनांक 10.02.2016 को अन्दर अहूद अदालते वाला पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

❖ वादी प्रार्थी है कि दावा वादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

- घोषणा इस अमर फरमाई जावे कि वादी विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1017 रकबा 1.80 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 1.15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा में से 1.85 है0 हिस्से में आने पर 0.50 है0 प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर दिये जाने से 1.35 है0 का खातेदार काश्तकार है तथा 0. 50 है0 की प्रतिवादी संख्या 2 एवं 1.10 है0 का प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार काश्तकार है।
- आराजीयात 1017, 1018 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा में से प्रतिवादी संख्या 01 का आधा हिस्सा समाप्त फरमाया जाकर वादी के नाम 1.35 है0 व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1.10 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम 0.50 है0 का राजस्व रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में अंकन फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।
- प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजीयात आराजीयात खसरा नंबर 1017 रकबा 1.80 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 1.15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम डिडायच में सेटलमेंट विभाग की गलती द्वारा खातेदारी में गलती से ज्यादा हिस्सा दर्ज होने से अपने नाम गलत खातेदारी इन्द्राजात का नाजायत फायदा उठाकर किसी को रहन बेचान या मुन्तकिल नहीं करे और ना ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 19.07.2022 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 के बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 19.03.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

4. वादी वकील ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं–

- **पी0डब्ल्यू–01**:–मदन लाल पुत्र रामकुंवार बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी किशनपुरा उज्जैन, मध्य प्रदेश।
- **प्रदर्श–01**:–जमाबंदी संवत् 2069–2072 ग्राम डिडायच के खाता संख्या 161
- **प्रदर्श–02**:– जमाबंदी संवत् 2065–2068 ग्राम डिडायच
- **प्रदर्श–03**:– जमाबंदी संवत् 2042–2045 ग्राम डिडायच
- **प्रदर्श–04**:– जमाबंदी संवत् 2065–2068 ग्राम डिडायच
- **प्रदर्श–05**:– जमाबंदी संवत् 2065–2068 ग्राम डिडायच
- **प्रदर्श–06**:– जमाबंदी संवत् 2065–2068 ग्राम डिडायच
- **प्रदर्श–07**:– मिलान क्षेत्रफल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

5. बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वादपत्र में अंकित में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वादी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. वकील वादी का कथन किया है कि साबिक जमाबंदी संवत् 2042–2045 के साबिक खसरा नंबर 131 रकबा 1 बीघा, 470 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा ग्राम डिडायच में वादी के पिता रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता बिरद्या के नाम 1/2–1/2 हिस्से की संयुक्त खातेदारी में थी। जब बिरद्या का देहान्त हुआ तो उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 01.06.1987 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक हुआ, जिसका जमाबंदी संवत् 2042–2045 **(प्रदर्श–3)** में अंकन हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने साबिक आराजी खसरा नंबर 470 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा 1/2 में से 2 बीघा भूमि किशनलाल पुत्र रामपाल व 1 बीघा भूमि भैरूलाल पुत्र रामपाल बैरवा को विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 18.06.1996 द्वारा उनके नाम तस्दीक होकर जमाबंदी संवत् 2042–2045 **(प्रदर्श–3)** में अंकन हो गया। इस प्रकार वादी के पिता रामकुंवार का साबिक खसरा नंबर 470 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 हिस्सा बदस्तूर रहा और प्रतिवादी संख्या 1 के भाग में से 3 बीघा भूमि विक्रय कर दिये जाने से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि शेष रही। इसके पश्चात् सेटलमेंट होने के पश्चात् साबिक खसरा नंबर 131 के नये नंबर 527 रकबा 0.25 है0 वादी के पिता रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आधे–आधे हिस्से की एवं साबिक खसरा नंबर 470 के नये नंबर 1017 रकबा 1.80 है0, 1018 रकबा 1.15 है0 कुल किता 02 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

रकबा 2.95 है0 बनाकर उसमें दोनों के नाम 1/2–1/2 हिस्से की खातेदारी अंकित कर दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नंबर 470 में 1/2 हिस्सा शेष नहीं रहा था। इसके पश्चात् वादी के पिता रामकुंवार का देहान्त हो जाने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 20.04.2009 वादी के नाम तस्दीक होकर जमाबंदी संवत् 2065–2068 **(प्रदर्श–2)** में अंकन हो गया और इसके पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने नये खसरा नंबर 527 रकबा 0.25 है0 को दोनों ने मिलकर बुद्धीप्रकश पुत्र जयलाल बैरवा को विक्रय कर दिया, जिसका नामान्तकरण संख्या 354 दिनांक 05.09.2011 को तस्दीक होकर उसके नाम खातेदारी में अंकन होकर जमाबंदी संवत् 2065–2068 **(प्रदर्श–02)** में हो गया। और प्रतिवादी संख्या 01 ने 3 बीघा भूमि विक्रय की थी, उन खातेदारों के नाम नवीन खसरा नंबर 1019 रकबा 0.51 है0 एवं 1018/1251 रकबा 0.25 है0 का जमाबंदी संवत् 2065–2068 **(प्रदर्श–4)** एवं **(प्रदर्श–6)** में अंकन हो गया। वादी ने भी अपनी खातेदारी भूमि हिस्सा 1/2 में से 0.50 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 517 दिनांक 10.07.2015 तस्दीक हुआ। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम खसरा नंबर 1017 व 1018 रकबा 2.95 है0 में से 1.35 है0 वादी के नाम व 0.50 है0 प्रतिवादी संख्या 02 के नाम व शेष 1.10 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 1017 रकबा 1.80 है0 एवं खसरा नंबर 1018 रकबा 1.15 है0 में से 1.35 है0 का वादी को एवं 0.50 है0 प्रतिवादी संख्या 02 को तथा 1.10 है0 का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमीद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:51 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. मदन लाल पुत्र रामकुंवार बैरवा निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. प्रभूलाल दत्तक पुत्र बिरदया बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. ममता देवी पत्नि भैरूलाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक, एस0बी0बी0जे0, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:21:51 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

नम्बर मुकदमा 02 सन् 2016

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

वादी की ओर से **श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 17.03.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा के नवीन खसरा नंबर 1017 रकबा 1.80 है0 एवं खसरा नंबर 1018 रकबा 1.15 है0 में से 1.35 है0 का वादी को एवं 0.50 है0 प्रतिवादी संख्या 02 को तथा 1.10 है0 का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 17.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)